राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

–:आदेश:– दिनांक 23-02-2024

प्रार्थीगण श्रीमति कुंदन कंवर पत्नि श्री छतरसिंह जाति राजपूत निवासी मालारी, श्रीमति मदन कंवर पुत्री श्री कल्याणसिंह पत्नि श्री फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा के प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में पटवारी हल्का सेवतलाव एवं तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम मालारी के गत खसरा नंबर 170, 173, 156, 158 कुल खसरा 4 रकबा 12 बीघा 5 बीस्वा से भू–प्रबंध पश्चात बने नये खसरा नंबर 539, 542, 558, 559 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.96 हैक्टर में बतौर खातेदार दर्ज मदन कंवर पुत्री कल्याण सिह जाति राजपूत को विलोपित कर इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये श्रीमति कुंदन कंवर पत्नि श्री छतर सिह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली व नजरी नक्शा पटवारी हल्का सेवतलाव के अनुरूप राजस्व रेकॅर्ड में इन्द्राज के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावें।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

क्रमांक :– कोर्ट/2024/276-279 दिनांक :– 04-03-2024

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का सेवतलाव
3. प्रार्थीगण श्रीमति कुंदन कंवर पत्नि श्री छतरसिंह जाति राजपूत निवासी मालारी वगैरा को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

में,

भू.3.
30/1/24

श्रीमान् तहसीलदार साहब,
कार्यालय - बाली

विषय:- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय प्रकरण राजस्व वाद संख्या जी-सी-एम एस न० 2023/01 अनवान कुंदन कंवर बनाम तहसीलदार बाली वाद अन्तर्गत धारा-136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में जॉच रिपोर्ट पेश करने बाबत्

प्रसंग:- श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2023/863-864 दिनांक 29.12.23 की पालना में

Cowl

महोदय जी,

6/2/24

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त वाद के सम्बन्ध में ग्राम मालारी के वर्तमान खसरा न० 539, 542, 558, 559 कुल खसरा 4 के सम्बंधित राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिनका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) वर्तमान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा न० के नये एवं पुराने खसरा न० का विवरण निम्न प्रकार है:-

हाल खसरा न०	क्षेत्रफल	साबिक खसरा न०	क्षेत्रफल
539	0.52 है०	158	3 बीघा 8 बिस्वा
542	0.51 है०	156	2 बीघा 11 बिस्वा
558	0.11 है०	174 मी० 173 मी०	- -
559	0.82 है०	173	4 बीघा 10 बिस्वा

168
6/2/24

(2) प्रार्थी वादी कुन्दन कंवर पत्नी छत्तरसिंह कौम राजपूत द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 12.7.74 में निम्न खसराजात की भूमि को मानीया पुत्र माईंग जाति सीरवी से कुन्दनकंवर (वादी) द्वारा क्रय किया गया था:-

साबिक खसरा न०	रकबा	किस्म
170	1 बीघा 16 बिस्वा	बा अ
173	4 बीघा 10 बिस्वा	बा अ
156	2 बीघा 11 बिस्वा	बा अ
158	3 बीघा 8 बिस्वा	बा अ

क्रमशः-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

Scanned by CamScanner

(गत) खसरा नं. 173, 156, 158 का विवरण
संख्या (1) में वर्णित है।

खसरा नं. 170 के मिलान क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है:-

हाल खसरा नं.	क्षेत्रफल	गत खसरा नं.	क्षेत्रफल
520	0.10	170	1 बीघा 16 बिस्वा

उक्त खसरा नं. 520 रकबा 0.10 है. वर्तमान में वादी कुन्दनकंवर पत्नी छतरसिंह की खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है।

(4) जमाबन्दी संवत् 2029-2034 में गत खसरा नं. 170, 173, 156, 158 कुल 4 कुल भूमि 12 बीघा 5 बिस्वा मानीया वल्द माईंग कौम सीरवी की खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज था जिसे जरिये विक्रय विलेख कुन्दनकंवर पत्नी छतरसिंह कौम राजपूत के नाम जरिये पुराना ना.क. 62 दर्ज किया गया।

(5) मिस्ल बंदोबस्त संवत 2037-2056 में उक्त खसरा नं. 539, 542, 558 तथा 559 कुल 4 रकबा 1.9600 है. (12 बीघा 5 बिस्वा) मदनकंवर पुत्री कल्याणसिंह कौम राजपूत के खाते में दर्ज है।

(6) बिन्दु संख्या 4 एवं बिन्दु सं. 5 में यह विरोधाभास भू-प्रबन्ध विभाग की संभवतया त्रुटि है, कुन्दनकंवर से मदनकंवर के नाम के अंकित होने का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। इस सम्बन्ध में भू-प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक का अवलोकन किया जाना अत्यावश्यक है कि किस आधार पर खसरा नं. 539, 542 तथा 559 में कुन्दनकंवर के स्थान पर मदनकंवर का नाम दर्ज किया गया।

(7) बिन्दु सं. 3 के अनुसार यह भी गौर किये जाने योग्य है कि जरिये विक्रय विलेख खरीद किये एक खसरा नं. 520 में वर्तमान में वादी कुन्दनकंवर का नाम यथावत है।

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वर्तमान खसरा न. 558 रकबा 0.11 पुराना ख. न. 174 मी., 173 मी. पर वादी का दावा खारिज योग्य है।

(9) बिन्दु संख्या 6 के अनुसार शेष खसरा न. 539, 542 तथा 559 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा 3 बिस्वांशी (Approx) की भूमि पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा खसरा पत्रक का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय दिया जाना न्यायोचित होगा।

पालना रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा में पेश है।

22/1/24

राहुल कुमार बोयल
वरिष्ठ पटवारी (भू.अ.)
तहसील बाली (पाली)

पटवारी - सेवतलाव

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बाली

क्रमांक/भू.अ./2024/243 दिनांक 2.02.2024

प्रेषिति :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
बाली

मूल ही पटवारी हल्का सेवतलाव से राजस्व वाद GCMS न. 2023/01 अनवान कुन्दन कंवर बनाम तहसीलदार बाली वाद अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्राप्त जांच रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

Scanned by CamScanner